(घ) चयन समिति द्वारा की गई कार्यवाही का लिखित रिकार्ड सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी पद के लिये चयन समिति के मत में लिखित परीक्षा लेना अनिवार्य समझा जायेगा तो तदनुसार कार्यवाही के लिये चयन समिति द्वारा प्रक्रिया निश्चित की जायेगी। इसी प्रकार निम्न श्रेणी लिपिक पद के लिये टंकण परीक्षा के लिये आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करने के साथ-साथ समिति के अध्यक्ष द्वारा विषय के जानकार अधिकारी/कर्मचारी को टंकण परीक्षा के सम्पादन के लिए कार्य किया जा सकेगा। परन्तु पूर्ण चयन प्रक्रिया एवं अन्तिम मूल्यांकन के लिये चयन समिति उत्तरदायी होगी।

(ङ) सीधी भर्ती के उम्मीदवार को किन्हीं दो जिम्मेदार व्यक्तियों के जो उसे आवेदन करने की तारीख से पूर्ववर्ती 3 वर्षों से जानते हों चारित्रिक प्रमाण-पत्र देना होगा।

अनुसूची क्रमांक

[उपविधि 34 (क)]

क्र.	पद	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्रेडर (श्रेणीकर्ता)	18 वर्ष	30 वर्ष	विज्ञान विषय के साथ स्नातक द्वितीय श्रेणी। श्रेणीकरण कार्य का प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।	
2.	निम्नश्रेणी लिपिक (L.D.C.)	18 वर्ष	30 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा 10+2 प्रणाली में हाईस्कूल उत्तीर्ण म. प्र. मुद्रलेखन परिषद से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण।	
3.	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। हल्के एवं भारी वाहनों को चलाने के लिये लायसेन्स होना अनिवार्य है।	
4.	नाकेदार /उद्घोषक	18 वर्ष	30 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण।	
5.	भृत्य/चौकीदार	18 वर्ष	30 वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण।	
6.	सफाई कर्मचारी (स्वीपर)	18 वर्ष	30 वर्ष	हिन्दी का सामान्य ज्ञान।	

टीप 1- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये जो प्रतिशत राज्य शासन के द्वारा निर्धारित है उसका पालन किया जायेगा।

2- अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशियों की आयु अधिकतम आयु सीमा से पाँच वर्ष अधिक तक हो सकती है।

3- मंडी समिति के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

उपविधि 35. मंडी समिति के सेवकों की एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति- मंडी समिति के कर्मचारियों को अनुसूची क्रमांक 4 के अनुसार पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

वि. स. अतां. प्र. क्र. -3190 परिशिष्ट-अ पृष्ठ- 01 से 03 तक

23/2/26.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-3190 परिशिष्ट-अ (2)

अनुसूची क्रमांक 4

[उपविधि 35]

पद का नाम जो पदोन्नति द्वारा भरना है	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	निम्न पद पर न्यूनतम आवश्यक सेवाकाल	अन्य विवरण
उच्च लिपिक	उ. श्रे. लि. वर्ग-2	5 वर्ष	
उच्च श्रेणी लिपिक उ. श्रे. लि. वर्ग- 2	निम्न श्रेणी लि.	5 वर्ष	
निम्न श्रेणी लिपिक उद्घोषक	भृत्य/चौकीदार	5 वर्ष	यदि भृत्य/चौकीदार निम्न श्रेणी लि. की अर्हता रखता है या नाकेदार/उद्घोषक की अर्हता रखता है तो निम्न श्रेणी लि. एवं नाकेदार/उद्घोषक पदों के 25 प्रतिशत तक के पद मंडी समिति में कार्यरत भृत्य/चौकीदार को पदोन्नत करके उनकी वरिष्ठता क्रम से भरे जायेंगे।

उपविधि 36. कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया-

(क) अनुसूची क्रमांक 3 में दर्शाये गये ऐसे पदों पर नियुक्ति जो कि पदोन्नति द्वारा किया जाना निर्धारित है, पदोन्नति समिति के द्वारा परीक्षण के उपरान्त पदोन्नति समिति की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी।

(ख) पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(1) राज्य मंडी बोर्ड के संभागीय उप-संचालक/उप सचिव चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

(2) अध्यक्ष मंडी समिति/भार... – सदस्य

(3) सचिव मंडी समिति – सदस्य सचिव

(ग) निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नत करने के लिये पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम से सूचीबद्ध किया जाएगा एवं प्रत्येक कर्मचारी की पिछले पाँच वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ देखी जाएंगी सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्रावलियों का मूल्यांकन कुल मिलाकर निम्न श्रेणियों के अनुसार समिति द्वारा निर्धारित करके मूल्यांकन सूची में दर्ज किया जाएगा। उत्कृष्ठ (+क), अति उत्तम (क), उत्तम (ख), सामान्य (ग) अल्प (घ) यदि पाँच वर्ष में से तीन वर्ष की चरित्रावलियाँ कम से कम (ख) श्रेणी की हों तो कर्मचारी को पदोन्नति के योग्य माना जाएगा, परन्तु यदि अन्तिम दो वर्ष की चरित्रावलियों में से यदि एक भी चरित्रावली अल्प पाई जाएगी तो कर्मचारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाएगा।

(घ) यदि किसी ऐसे कर्मचारी की, जो कि पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में हो, विभागीय जाँच चल रही हो तो ऐसे कर्मचारी के बारे में समिति द्वारा चरित्रावलियों के आधार पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे सीलबन्द लिफाफे में रखते हुए उस पर कार्यान्वयन रोक दिया

वि.स. अतां. प्र.क्र.-3190 परिशिष्ट-अ पृष्ठ-01 से 03 तक

23/2/26
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-3190 परिशिष्ट-अ

जाएगा और पदोन्नति समिति की कार्यवाही में यह उल्लेख नहीं किया जाएगा कि कर्मचारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया अथवा अनुपयुक्त पाया गया। सीलबन्द लिफाफा अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी के अभिरक्षण में रहेगा। जैसे ही कर्मचारी का विभागीय जाँच प्रकरण समाप्त हो वह लिफाफा सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जावेगा। विभागीय जाँच में यदि कर्मचारी को दोषमुक्त माना गया है तो उपरोक्तानुसार खोले गए लिफाफे में कर्मचारी के सम्बन्ध में पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पदोन्नति समिति ने यदि कर्मचारी की पदोन्नति की अनुशंसा की है तो कर्मचारी को पदोन्नति दी जावेगी। यदि पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया है तो प्रकरण आगामी पदोन्नति समिति में रखा जायेगा विभागीय जाँच में यदि कर्मचारी को दोषी पाया जाता है तो भी प्रकरण आगामी पदोन्नति समिति में रखा जायेगा।

(ङ) ऊपर उल्लेखित विभागीय जाँच प्रकरण समाप्ति के दो माह के अन्दर पदोन्नति समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।

उपविधि 37. पदोन्नति आदेश का प्रसारण- पदोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त हो जाने के पश्चात् एक माह के अन्दर पदोन्नत आदेश अध्यक्ष मंडी समिति/भारसाधक अधिकारी के अनुमोदन से सचिव मंडी समिति के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। कोई भी पदोन्नति आदेश पदोन्नति समिति की अनुशंसा के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

उपविधि 38. पदोन्नति प्रकरण में अभ्यावेदन/अपील- पदोन्नति के प्रकरण में अभ्यावेदन/अपील संचालक मंडी को प्रस्तुत की जाएगी।

उपविधि 39. सम्भाग की एक मंडी से दूसरी मंडी में स्थानान्तरित कर्मचारियों की पदोन्नति- मंडी समिति का कोई कर्मचारी यदि अन्य मंडी में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो उसका पद मूल मंडी में रिक्त रखा जायेगा यदि कर्मचारी सम्भाग की दूसरी मंडी में स्थानान्तरित होकर चला गया होगा तो भी इस मंडी समिति में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा एवं इस मंडी को ऐसे कर्मचारी के प्रकरण पर यथा समय पदोन्नति हेतु विचार करना होगा, जिस मंडी में कर्मचारी स्थानान्तरण पर गया हो उस मंडी के अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी/सचिव का दायित्व होगा कि वह कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ नियमित रूप से मंडी वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद कर्मचारी की इस मंडी को भेजेंगे। इस मंडी द्वारा यदि किसी ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति आदेशित की जाती है जो कि यहाँ के सम्भाग की दूसरी मंडी में स्थानान्तरण हो चुका है तो इस मंडी में ऐसा पदोन्नति का पद रिक्त रखा जाएगा एवं कर्मचारी को ऐसे वेतन या भत्तों के सम्बन्ध में, जिनके लिए इस समिति में बने रहने की दशा में हकदार होता, अलाभकर स्थिति में नहीं रखा जावेगा।

उपविधि 40. कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें-

(क) प्रत्येक कर्मचारी को भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिए नियमानुसार शपथ लेनी होगी।

(ख) प्रथम नियुक्ति के बाद उस माह का वेतन प्राप्त करने के पूर्व कर्मचारी को सम्बन्धित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया तो कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

(ग) मंडी समिति में प्रथम बार नियुक्त कर्मचारी के चरित्र का सत्यापन आरक्षी विभाग से कराया जाएगा। यदि आरक्षी विभाग की रिपोर्ट प्रतिकूल पाई गई तो कर्मचारी की सेवाएं बिना कारण बताए एवं सूचना के तत्काल बाद समाप्त कर दी जाएंगी।

वि.स.अता. प्र.क्र.-3190 परिशिष्ट-अ पृष्ठ-01 से 03 तक

23/2/26
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल